# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, दूदू

वाद सं0 नये 283/2016 पुराने 210/2015
निर्णय दिनांक :– 23.08.2024
**पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार II (आर,ए,एस,)**

1. इन्दुशेखर पुत्र मदनलाल जाति पारीक निवासी फागी तहसील फागी जिला दूदू राज0।
2. विनोद कुमार पुत्र मदनलाल जाति पारीक निवासी फागी तहसील फागी जिला दूदू राज0।
3. कमला देवी पत्नि मदनलाल जाति पारीक निवासी फागी जिला दूदू।

(वादीगण)

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र अंजनीबख्श जाति पारीक समस्त निवासी फागी तहसील फागी जिला दूदू राज0
2. भगवानसहाय पुत्र अंजनीबख्श जाति पारीक समस्त निवासी फागी तहसील फागी जिला दूदू राज0
3. बाबूलाल पुत्र श्री सूरजकरण जाति पारीक समस्त निवासी फागी तहसील फागी जिला दूदू राज0
4. तहसीलदार/सबरजिस्ट्रार तहसील फागी जिला दूदू राज.

(प्रतिवादीगण)

उपस्थित अधिवक्तागणः–
**वादीगण :– श्री कृष्ण कुमार लखेरा एडवोकेट**
**प्रतिवादीगण :– श्री हनुमान सहाय सिहाग 1 व 2**
**श्री विनोद कुमार जैन प्रतिवादी संख्या 3**
**पेरोकार सरकार**
**वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा**

## निर्णय दिनांक 23.08.2024

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खाता संख्या 28 के खसरा नम्बर 7112 रकबा 09 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 7113 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा भूमि वाके ग्राम फागी तहसील फागी जिला दूदू में स्थित है तथा खाता संख्या 304 के आराजी खसरा नम्बर 5020 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 6650 रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 6735 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 6738 रकबा 06 बीघा, खसरा नम्बर 6747 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 6749 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 6750 रकबा 06 बीघा 13 बिस्वा, खसरा

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

नम्बर 6751 रकबा 17 बीघा 01 बिस्वा कुल किता 08 कुल रकबा 57 बीघा 08 बिस्वा भूमि वाके ग्राम फागी तहसील फागी जिला दूदू में स्थित है। खाता संख्या 303 के खसरा नम्बर 5019 रकबा 11 बिस्वा, खाता संख्या 11 के खसरा नम्बर 5036 के रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 6651 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 6722 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 6748 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा भूमि वाके ग्राम फागी पश्चिम तहसील फागी जिला दूदू में स्थित है। खाता संख्या 28 के वर्तमान रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा दर्ज हैं एवं प्रतिवादी संख्या 03 का 1/2 हिस्सा दर्ज है। सूरजकरण की मृत्यु हो चुकी हैं खाता संख्या 28 में वादीगण का 1/3 हिस्सा व प्रहलाद के हिस्से की जमीन में 1/3 हिस्सा हैं खाता संख्या 28 की आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 का 1/2 हिस्सा दर्ज हैं एवं खाता संख्या 303 की आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं जो उपर्युक्त इन्द्राज गलत हैं प्रहलाद के कोई सन्तान नहीं थी अविवाहित था इसलिए प्रहलाद के दर्ज हिस्से में भी वादीगण का 1/3 हिस्सा हैं तदानुसार वादीगण काबिज काश्त है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य हैं उपर्युक्त वर्णित विवादित आराजी हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक की आराजी है। विवादित सम्पति गोविन्दनारायण की थी जिसमें पक्षकारान का बराबर–बराबर हिस्सा हैं प्रहलाद की मृत्यु हो गई। इसलिए प्रहलाद की सम्पति शेष तीनों भाईयों में निहित होनी चाहिये थी, परन्तु प्रहलाद के देहावसान पर खाता संख्या 304 की आराजी में प्रहलाद का 1/3 हिस्सा था देहावसान पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने 1/2 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 3 ने 1/2 हिस्से का नामान्तकरण खुलवा लिया। इसी प्रकार खाता संख्या 303 व खाता संख्या 28 में भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने 1/2 हिस्से में तथा प्रतिवादी संख्या 3 ने 1/2 हिस्से का नामान्तकरण खुलवा लिया, जो गलत हैं। वादीगण को प्रतिवादीगण के इस कृत्य का पता नहीं लगा प्रहलाद के हिस्से की आराजी में वादीगण का 1/3, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के 1/3 तथा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/3 हिस्से में नामान्तकरण खुलना चाहिए था। पूर्वज गोविन्दनारायण जी की कुल जमीन 84 बीघा 15 बिस्वा थी गोविन्दनारायण की विरासत का नामान्तकरण में अंजनीबख्श, प्रहलाद, सुरजकरण व मदनलाल के बराबर बराबर जमीन का नामान्तकरण खुलना चाहिये था परन्तु वादीगण के 1/4 हिस्से की आराजी से भी कम जमीन का नामान्तकरण खुलवाया गया मदनलाल के 19 बीघा 17 बिस्वा व अंजनीबख्श, प्रहलाद, सुरजकरण के 3/4 हिस्सा 64 बीघा 08 बिस्वा आयी हैं अर्थात स्व० मदनलाल के 01 बीघा 07 बिस्वा जमीन कम आई थी । वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार वादीगण के नाम अपना हिस्सा लगवाने के लिए कहां तो वह आश्वासन देते रहे कि जमीन नाम

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

लगवा देंगे, चूंकि पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य हैं एवं जमीन पर शान्ति पूर्वक काबिज हैं इसलिए प्रतिवादीगण के कथन पर विश्वास कर लिया परन्तु 30.09.2015 को आराजी नाम लगवाने से मना कर दिया तथा प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि हमने मिलीभगत से बंटवारे का दावा पेश कर दिया है जिसमें शीघ्र ही निर्णय होने वाला है इसलिए वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। यदि प्रतिवादीगण का साजिशी दावे का निर्णय वादीगण के अधिकारों के निर्धारण से पूर्व हो गया तो वादीगण को अपूर्णिय क्षति होगी व काफी पेचैदगियां बढ़ जावेगी। वादी प्रतिवादीगण वादी के प्रहलाद के हिस्से में से 1/3 हिस्से की जमीन नाम नहीं लगवाया तो वादीगण अपने वैध अधिकारों से वंचित रह जायेंगे। इसलिए वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। वाद कारण दिनांक 30.09.2015 को प्रतिवादीगण द्वारा विवादग्रस्त आराजी को वादीगण के नाम लगवाने से साफ इन्कार करने एवं धमकी देने से उत्पन्न हुआ हैं अन्दर मियाद प्रस्तुत है। पक्षकारान एवं विवादित आराजीयात का निवास स्थान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से प्रस्तुत वाद की सुनवाई का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई। प्रतिवादी 1 व 2 की और से अधिवक्ता श्री हनुमान सहाय सिहाग व प्रतिवादी सं0 3 की और से अधिवक्ता श्री विनोद कुमार जैन उपस्थित आये।

प्रतिवादी सं0 1 व 2 की और जबाब दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जबाब के अतिरिक्त कथंन मे बताया की वादग्रस्त आराजी में से वादीगण के पिता स्व0 मदनलाल द्वारा अपने पिता गोविन्दनारायण के जीवनकाल में अपनी सहमति से सम्पूर्ण आराजी में से अच्छी में से अच्छी आराजी अपने नाम लगवा ली इसलिये शेष आराजी में उनका कोई हिस्सा शेष नहीं रहा है। दादा गोविन्दनारायण की फौती उपरान्त शेष तीनों भाईयों अन्जनीबक्स, सूरजकरण, प्रहलाद के नाम विरासत का नामान्तकरण संख्या 443 खुला जिसकी पुस्त पर स्व0 मदनलाल द्वारा अपना हिस्सा पूर्व में ही नामान्तकरण संख्या 62 द्वारा प्राप्त किया जाना अंकित है। जिसका स्व0 मदनलाल द्वारा अपना हिस्सा पूर्व में ही नामान्तकरण संख्या 62 द्वारा प्राप्त किया जाना अंकित है। जिसका स्व0 मदनलाल ने अपने जीवनकाल में कोई उज्र नहीं किया न ही उक्त आदेश की कोई अपील इत्यादि नहीं की इसके पश्चात मदनलाल की फौती का नामन्तकरण वादीगण के नाम वर्षो पूर्व खुल चुका हैं । इसलिए वादीगण को उक्त सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी शुरू से रही है। इसलिये उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर वादीगण एस्ओपेड है, जिससे वादीगण उक्त आराजी में किसी भी प्रकार से हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। चुंकि स्व0 प्रहलाद के फौत होने पर उनकी विरासत का नामान्तकरण सं0 98 मिनउत्तरदाता व प्रतिवादी सं0 के नाम वर्ष 2003 में ही खुल चुका है, जिसकी जानकारी भी वादीगण को

लगातार.....4

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

शुरू से रही है, लेकिन वादीगण द्वारा उक्त आदेश की कोई अपील इत्यादि आज से पूर्व प्रस्तुत नहीं की है। तथा आज इतने वर्षो बाद आकर वादीगण ने उक्त वाद प्रस्तुत किया है जो मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण का स्व0 प्रहलाद की आराजी से काई सम्बन्ध सराकोर नहीं है न ही वादीगण का उक्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त रहा है इसलिये वादीगण का वाद उपर्युक्त तथ्यों अनुसार खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी सं0 3 की और से जबाब दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जबाब के तथ्यो मे बताया की खाता संख्या 304 की आराजी कुल किता 8 रकबा 54 बीघा 8 बिस्वा व खाता संख्या 303 के खसरा नम्बर 5019 रकबा 11 बिस्वा वांके ग्राम फागी पश्चिम तहसील फागी जिला दूदू में स्थित होना स्वीकार है. शेष कथन गलत है और स्वीकार नही है। पक्षकारान वर्तमान में दर्ज हिस्सेंनुसार मौके पर काबिज काश्त नहीं है बल्कि उत्तरदाता/प्रतिवादी उपर्युक्त भूमि पर 2/3 हिस्से पर अपनें पिता के समय से काबिज काश्त चला आ रहा है प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने गलत रूप से स्वर्गीय प्रहलाद के हिस्से का अपनें हक में विरासत का 1/2 हिस्सें का नामान्तकरण खुलवाकर उपर्युक्त भूमि में 1/2 हिस्सा अपना दर्ज करवा लिया। वादी का जो 1/4 हिस्सा था, उसनें व उसकें भाई व उनकी माता कमला देवी ने अपनें सहमति से पूर्व में ही रकबा 84 बीघा 4 बिस्वा में से 19 बीघा 17 बिस्वा भूमि वादीगण जो मदनलाल के वारिसान थे, को दे दी तथा वादीगण ने उक्त भूमि अपनें हिस्सें की लेते हुये उसें स्वीकार कर उसका अलग से खाता राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया जिस अनुसार 19 बीघा 17 बिस्वा का वर्तमान में वादीगण खातेदार काश्तकार है। मदहाजा में वर्णित भूमि से वादी का कोई सम्बंध व सरोकार नहीं है। वादीगण का उक्त भूमि में कोई हक व हिरसा नही है और उनकों उक्त वाद लानें का कानूनन कोई अधिकार नही है। शेष अतिरिक्त कथन में दर्ज है। वाद पत्र का मद नम्बर 2 गलत है स्वीकार नही हैं वादीगण का उनके पिता की मृत्यु के पश्चात उनके पिता का जो पैतृक भूमि में 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में मदनलाल के नाम से दर्ज हुआ, उसकें मदनलाल के स्वर्गवास के पश्चात वादीगण व उनकी माता कमला देवी को उनकी सहमति से उनकें हिस्सें अनुसार उपर्युक्त विवादित भूमि के साथ अन्य भूमि का पर्चा सेटलमेन्ट पक्षकारान के 'बाबा गोविन्दा उर्फ गोविन्दनारायण के नाम संवत् 2011 लगायत 2030 में कुल किता 13 रकबा 77 बीघा 11 बिस्वा व खसरा नम्बर 6750 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा इस प्रकार कुल 84 बीघा 4 बिस्वा का जारी हुआ था, जिस पर पक्षकारान के बाबा गोविन्दनारायण काबिज काश्त थे, उनकी मृत्यु के पश्चात उपर्युक्त भूमि चारो लडकों अंजनीबक्स, प्रहलाद, सुरजकरण व मदनलाल के नाम बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज हुई। उसकें कुछ समय पश्चात मदनलाल का स्वर्गवास हो गया, जिसकें वादीगण/इन्दुशेखर,

लगातार.....5

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

विनोद कुमार व उनकी बेवा कमलादेवी को अपनी सहमति से उनकें हिस्से अनुसार अलग अलग खसरा नम्बर सम्पूर्ण दे दिया गया, जिसमें खसरा नम्बर 5036, 6651, 6722, 6748 किता 4 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा भूमि तीनों भाईयों के द्वारा अपनी अपनी सहमति से मदनलाल के लडकों को दे दी गई, जिससें स्वंय मदनलाल के लड़कें व उनकी बेवा पूर्ण रूप से सहमत हुयें और तय हुआ कि उक्त चारों नम्बर उनकें हिस्सें अनुसार 19 बीघा 17 बिस्वा भूमि ले ली है। शेष अन्य भूमि में उनका कोई हिस्सा नही रहेगा। उसकें पश्चात् उपर्युक्त सहमति से खसरा नम्बर 5036, 6651, 6722, 6748 किता 4 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा की खातेदारी वादीगण/इन्दूशेखर, विनोद कुमार व उनकी माता के नाम दर्ज हुई, जो आज तक चली आ रही है इसी प्रकार शेष रही भूमि 54.08 बीघा फागी पश्चिम व 9.19 बीधा फागी दक्षिण की खातेदारी तीनों भाई अंजनीबक्स, प्रहलाद व सुरजकरण के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हुई। जो बदस्तूर चली आ रही है जिसमें अंजनीबक्स के लडकों प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/3 हिस्सा व 1/3 हिस्सा प्रहलाद व 1/3 हिस्सा सुरजकरण का है। जिसमें प्रहलाद जो अविवाहित थे व जीवनपर्यन्त सुरजकरण के साथ रहे ओर प्रहलाद व सुरजकरण अपनें हिस्सें को संयुक्त रूप से काश्त करते रहे। इस प्रकार प्रहलाद व सुरजकरण का 2/3 हिस्सा विवादित भूमि में रहा। स्व० प्रहलाद जो अविवाहित थे उनकी मृत्यु के पश्चात् सम्पूर्ण क्रियाकर्म उनके छोटे भाई सुरजकरण ने निर्वहन किये तथा उनकी सम्पूर्ण समाज, पंचों एवं वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के स्वंय के समक्ष पगडी बंधी ओर सभी परिवारजन, समाज व गांव के समक्ष तय हुआ कि पूर्व कि भांति ही स्व प्रहलाद की सम्पूर्ण चल व अचल सम्पति का वारिस सुरजकरण होगा और प्रहलाद की मृत्यु के पश्चात उनकी समस्त चल व अचल सम्पति पर सुरजकरण काबिज काश्त हुये जिसकें बाबत वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने कभी कोई एतराज या उज्र नही किया बल्कि अपनी सहमति से विवादित भूमि के 2/3 हिस्सें पर सुरजकरण के काश्त करते रहने की सहमति प्रदान कर 1/3 हिस्सें पर स्वंय प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काबिज रहे। उसकें पश्चात सुरजकरण का देहान्त हो गया और उनके देहान्त के पश्चात उपर्युक्त भूमि के 2/3 हिस्सें पर अपनें पिता के समय से ही प्रतिवादी संख्या 3 उतरदाता काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पढे लिखे व चतुर किस्म के व्यक्ति है जिन्होनें प्रहलाद के हिस्से की भूमि का विरासत का नामान्तकरण संख्या 98 दिनांक 09.05.2003 को सुरजकरण कि बिना जानकारी के बालाबाला अपने हक में 1/2 हिस्से का तस्दीक करवा लिया। उसके पश्चात उपर्युक्त भूमि की खातेदारी उत्तरदाता/प्रतिवादी संख्या 3 के 1/2 हिस्सें व 1/2 हिस्सें की प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के दर्ज हो गई। जिसके बाबत प्रतिवादी संख्या 3 के पिता को जानकारी होते ही उनकें द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने कहा कि

लगातार.....6

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

उनके हिस्सें की भूमि को वे काश्त कर रहे है। वे कभी भी उनके नाम लगा देंगे, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 के पिता सुरजकरण ने विश्वास कर लिया उसकें पश्चात प्रतिवादी संख्या 3 के पिता का देंहान्त हो गया उनकें देहान्त के पश्चात उनकें हिस्से की भूमि का नामान्तकरण खुलवाने के समय प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से कहा कि स्व प्रहलाद जी का जो हिस्सा उनकें नाम लग गया है वह उसकें नाम लगावें जिस पर भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा उपर्युक्त कथन कहते हुए कभी भी नाम लगानें बाबत प्रतिवादी संख्या से कहा जिस पर परिवार के सदस्य होने तथा सम्पूर्ण हिस्सें पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज काश्त चले आने से इस बाबत कोई कार्यवाही नहीं की। उसके पश्चात इसके बाबत पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं रहा। अभी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा एक वाद कन्हैयालाल बनाम बाबूलाल का अपनें गलत दर्ज हिस्सें अनुसार तकासमा का पेश कर रखा है जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 उत्तरदाता के द्वारा अपना जवाब दावा पेश कर स्वर्गीय प्रहलाद जी का हिस्सा अपने लगाये जाने बाबत काउन्टर क्लेम पेश कर रखा है। वाद पत्र का मद नम्बर 3 में वर्णित वंशावली सही है स्वर्गीय प्रहलाद जी अविवाहित थे, जो जीवनपर्यन्त अपनें भाई सुरजकरण के साथ रहे और सुरजकरण के साथ अपना हिस्सा काश्त करते रहे, स्वर्गीय प्रहलाद जी मृत्यु उपरान्त उनकी वारिस होने पर प्रतिवादी संख्या 3 उतरदाता के पिता सुरजकरण के पगडी बंधी, इस प्रकार स्वर्गीय प्रहलाद जी का प्रतिवादी संख्या 3 के पिता वारिशान थे, तथा उनकी मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी संख्या 3 उनकें तडकें पर काबिज है और विवादित भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है। वाद पत्र का मद नम्बर 4 गलत है स्वीकार नही है। विवादित सम्पति गोविन्दनारायण जी की थी, जो गोविन्दनारायण की मृत्यु के पश्चात उनकें चारों लडकें अंजनीबक्स, प्रहलाद, सूरजकरण व मदनलाल के नाम बहिस्सा दर्ज हुई. उसकें कुछ समय पश्चात मदनलाल का स्वर्गवास हो गया, जिसकें वादीगण वारिशान है, जिनकी सहमति एवं अन्य भाई अंजनीबक्स, प्रहलाद व सुरजकरण की सहमति से गोविन्दनारायण की सम्पूर्ण भूमि 84 बीघा 4 बिस्वा में से वादीगण ने खसरा नम्बर 5036, 6651, 6722, 6748, किता 4 रकबा 19' बीघा 17 बिस्वा भूमि तीनों भाईयों के द्वारा अपनी अपनी सहमति से वादीगण को दे दी गई, जिसमें स्वंय मदनलाल के लडकें वादीगण व उनकी बेवा पूर्ण रूप से सहमत हूये और तय हुआ कि उक्त चारों नम्बर सम्पूर्ण उनके हिस्सें अनुसार 19 बीघा 17 बिस्वा भूमि ले ली है शेष अन्य भूमि में उनका कोई हिस्सा नही रहेगा। उसकें पश्चात उपर्युक्त सहमति से खसरा नम्बर 5036, 6651, 6722, 6748, किता 4 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा की खातेदारी वादीगण व उनकी माता के नाम दर्ज हुई जो आज तक चली आ रही है और शेष रही भूमि 54 बीघा 8 बिस्वा ग्राम फागी पश्चिम की खातेदारी तीनों भाई अंजनीबक्स, प्रहलाद व सुरजकरण के बहिस्सा बराबर दर्ज हुई, इस प्रकार वादीगण का जो उनका पैतृक भूमि में उनकें पिता का

लगातार.....7

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

हिस्सा था वह उन्होनें उक्त अनुसार पूर्व में प्राप्त कर लिया है अब शेष रही विवादित भूमि में उनका कोई हक व अधिकार, हिस्सा नही है न कानूनन उन्हें उक्त वाद लानें का अधिकार है और वादीगण उक्त वाद लानें से कानूनन स्टाप्ड है। वाद पत्र का मद नम्बर 5 गलत है स्वीकार नही है विवादित भूमि में जब वादीगण का कोई हिस्सा ही नहीं है, न उनका कभी कब्जा काश्त रहा है न विवादित भूमि से वादीगण का कोई सम्बंध व सरोकार ही नहीं तो मदहाजा में वर्णित दिनांक 30.9.15 को आराजी नाम लगाये जाने से मना करनें का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है वादीगण ने मदहाजा में वर्णित तथ्य मात्र वाद पेश करनें हेतू झूठे रचे गये है। वाद पत्र का मद नम्बर 6 गलत है स्वीकार नही है। वादीगण का जब विवादित भूमि में कोई हक व हिस्सा ही नही है तो उनकें वैध अधिकारों से वंचित होने का प्रश्न ही उतपन्न नही होता है। वाद पत्र का मद नम्बर 7 में वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है वाद कारण के अभाव में वादीगण का वाद चलनें योग्य नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

तनकीयात कायम की गई। जो निम्नानुसार है। :–

1. आया वाद पत्र के पेरा नं. 1 में वर्णित आराजी भूमि वाके ग्राम फागी पश्चिम में स्व. प्रहलाद पुत्र गोविन्दनारायण का 1/3 हिस्सा था। जिसमें वादीगण 1/2 हिस्से की घोषणा कराने के अधिकारी है।

   वादीगण

2. वादीगण व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है।

   वादीगण

3. आया वादग्रस्त आराजी में से वारदीगण के पिता स्व0 मदनलाल द्वारा अपने पिता गोविन्दनारायण के जीवनकाल में अपनी सहमति से सम्पूर्ण आराजी में से अच्छी में से अच्छी आराजी अपने नाम लगवा ली इसलिए शेष आराजी में उनका हिस्सा नहीं रहने से घोषणा कराने का अधिकारी नहीं है।

   प्रतिवादीगण

4. आया नामा. सं. 98 वर्ष 2003 में खुला है जिसकी वादीगण को शुरू से जानकारी रही है। लेकिन आज तक चेलेन्ज नहीं किया है। अब इतने वर्षो बाद वाद पेश किया है। इसलिए वाद मियाद बाहर होने से चलने योग्य नहीं है।

   प्रतिवादीगण

5. अन्य दादरसी

तनकीयात कायम की जाकर ऐक्सप्लेन की गई।

वादीगण व प्रतिवादीगण स्वयं हाजिर अदालत आये तथा राजीनामा पेश किया जो वाद तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। पक्षकारान ने अपने राजीनामा

लगातार.....8

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

के तथ्यो मे बताया की उक्त आराजी में से खसरा नंबर 7112, 7113 प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 03 का 1/2 हिस्सा जरिये पिता सुरजकरण दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं खसरा नम्बर 5020, 6650, 6735, 6738, 6747, 6749 6750, 6751 व 5019 के प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 03 का 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं खसरा नम्बर 5036, 6651, 6722, 6748 वादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण के दादा स्व0 गोविन्दनारायण के चार पुत्र अंजनी बख्श, प्रहलाद, सुरजकरण व मदनलाल हुए जिनमें से स्व0 प्रहलाद नाऔलाद फौत हो जाने से उनके हिस्से की आराजी को लेकर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया अब पक्षकारान के मध्य विवादग्रस्त आराजी को लेकर राजीनामा हो गया है। जिसके अनुसार स्व0 गोविन्दनारायण की सम्पूर्ण आराजीयात जो कि पक्षकारान की पुस्तैनी आराजीयात है। जिसमें सभी पक्षकारान का बराबर–बराबर अर्थात वर्तमान खाता संख्या 17, 34, 329, 328 में वादीगण का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 03 का 1/3 हिस्से अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं हैं।

बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने अपने वाद पत्र के तथ्यों दोहराते हुये वादीगण का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपनी बहस मे मुताबिक राजीनामा वादीगण का डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं ध्यान पुर्वक मनन करने पर पाया की वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2068 – 71 वाके ग्राम फागी दक्षिण के खाता सं0 28 कन्हैयालाल, भगवानसहाय पि0 अंजनीबक्श हिस्सा 1/2, सूरजकरण पुत्र गोविन्दनारायण जाति पुरोहित हिस्सा 1/2, खाता सं0 303 बाबूलाल पुत्र सूरजकरण जाति पुरोहित हिस्सा 1/2 कन्हैयालाल, भगवानसहाय पि0 अंजनीबक्श हिस्सा 1/2 पुरोहित सा0देह, खाता सं0 304 बाबूलाल पुत्र सूरजकरण हिस्सा 1/2, कन्हैयालाल पुत्र अन्जनीबक्स हिस्सा 1/4 बिना रहन, भगवानसहाय पुत्र अन्जनीबक्स हिस्सा 1/4 राहिन ज0थार0ग्रा0 बैक शाखा फागी मुर्तहीन, खाता सं0 11 इन्दूशेखर, विनोद कुमार पि. मदनलाल व कमला देवी बेवा मदनलाल जाति पारीक पुरोहित सा0देह राहिन ज0थार0ग्रा0बैंक शाखा फागी मुर्तहीन दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक पर्चा सेटलमेन्ट सम्वत 2011 – 2030 उक्त विवादग्रस्त आराजी का पर्चा गोविन्दा वल्द बिजलाल कौम ब्राहाम्ण राहिन कल्याणदास चेला बालकनाथ कौम स्वामी सा0देह जारी हुआ है। मुताबिक सिजरा वाद पत्र

लगातार.....9

उपखण्ड अधिकारी
फागी.जिला–दद

वादीगण व प्रतिवादीगण गोविन्दनारायण के वारिसान है। पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो चूका है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने अपने राजीनामा मे वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की है। उपर्युक्त तथ्यो के प्रकाश मे हम वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त खाता संख्या 28 के खसरा नम्बर 7112 रकबा 09 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 7113 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा तथा खाता संख्या 304 के आराजी खसरा नम्बर 5020 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 6650 रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 6735 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 6738 रकबा 06 बीघा, खसरा नम्बर 6747 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 6749 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 6750 रकबा 06 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 6751 रकबा 17 बीघा 01 बिस्वा कुल किता 08 कुल रकबा 57 बीघा 08 बिस्वा, भूमि वाके ग्राम फागी व खाता संख्या 303 के खसरा नम्बर 5019 रकबा 11 बिस्वा, खाता संख्या 11 के खसरा नम्बर 5036 के रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 6651 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 6722 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 6748 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा भूमि वाके ग्राम फागी पश्चिम तहसील फागी जिला दूदू में स्थित आराजीयात में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हिस्से की आराजी मे से वादीगण को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी सं0 1 व 2 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी सं0 3 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। मुताबिक निर्णय पर्चा प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

23/8/24

(सुकेश कुमार ग.)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला—दूदू

# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (दूदू)**

**बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)**

उनवान

1. इन्दुशेखर पुत्र मदनलाल जाति पारीक निवासी फागी तहसील फागी जिला दूदू राज0।
2. विनोद कुमार पुत्र मदनलाल जाति पारीक निवासी फागी तहसील फागी जिला दूदू राज0।
3. कमला देवी पत्नि मदनलाल जाति पारीक निवासी फागी जिला दूदू।

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र अंजनीबख्श जाति पारीक समस्त निवासी फागी तहसील फागी जिला दूदू राज0
2. भगवानसहाय पुत्र अंजनीबख्श जाति पारीक समस्त निवासी फागी तहसील फागी जिला दूदू राज0
3. बाबूलाल पुत्र श्री सूरजकरण जाति पारीक समस्त निवासी फागी तहसील फागी जिला दूदू राज0
4. तहसीलदार/सबरजिस्ट्रार तहसील फागी जिला दूदू राज.

**::– वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा ::–**

मु0न0:– 283/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादीगण श्री कृष्ण कुमार लखेरा हाजिर रूबरू वकील प्रतिवादीगण श्री विनोंद कुमार जैन, श्री हनुमान सहाय सिंहाग मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त खाता संख्या 28 के खसरा नम्बर 7112 रकबा 09 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 7113 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा तथा खाता संख्या 304 के आराजी खसरा नम्बर 5020 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 6650 रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 6735 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 6738 रकबा 06 बीघा, खसरा नम्बर 6747 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 6749 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 6750 रकबा 06 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 6751 रकबा 17 बीघा 01 बिस्वा कुल किता 08 कुल रकबा 57 बीघा 08 बिस्वा, भूमि वाके ग्राम फागी व खाता संख्या 303 के खसरा नम्बर 5019 रकबा 11 बिस्वा, खाता संख्या 11 के खसरा नम्बर 5036 के रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 6651 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 6722 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 6748 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा भूमि वाके ग्राम फागी पश्चिम तहसील फागी जिला दूदू में स्थित आराजीयात में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हिस्से की आराजी मे से वादीगण को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी सं0 1 व 2 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी सं0 3 को 1/3 हिस्से का काश्तेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी।**

निज.....X.....मुबलिग.....X.....बाबत.....X.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह .....X.....फीसदी.....X.....सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X.....का अदा करे।

बमक्ता मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.08.2024 को जारी की गई।

दस्तखत..... उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला–दूदू

ओहदा.....

मुहर

| मुदई | रूपये | पैसे | मुदायलह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबुत | | | महन्ताना वकील | | |
| महन्ताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमीश्नर | | |
| फीस कमीश्नर | | | बबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक | | | मीजान | | |
| मीजान | | | | | |

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू